न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/5977/2002/ बाराँ

1. किशना पुत्र भैरू मृतक नाम तर्क
2. मदन पुत्र किशना
3. छोटू पुत्र किशना
4. प्रहलाद पुत्र किशना
5. प्रभू पुत्र किशना मृतक नाम तर्क
6. नारायण पुत्र किशना

समस्त जाति चमार निवासीगण धतूरिया तहसील अंता जिला बारां।

अपीलांट्स/प्रतिवीदगण....

बनाम

1. छोटू पुत्र रत्तीराम मृतक जरिये वारिसान
   - 1/1 राममूर्ति पत्नि
   - 1/2 रिन्कू पुत्र
   - 1/3 राजेश पुत्र
   - 1/4 काली पुत्री

   समस्त जाति चमार निवासी गुडगांव हाल ग्राम पडाली तहसील किशनगंज जिला बारां।
2. श्रीमती भैरी बाई पत्नि गोपाल मृतक जरिये वारिसान
   - 2/1 प्रहलाद पुत्र
   - 2/2 रामकरण पुत्र
   - 2/3 द्वारकी लाल पुत्र

   समस्त जाति चमार निवासी पंचेलकला तहसील अंता जिला बारां।
   - 2/4 चाहनिया बाई पुत्री गोपाल पत्नि नारायण जाति चमार निवासी नोहरा तहसील अंता जिला बारां।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंता जिला बारां।

रेस्पो0...

<u>खण्डपीठ</u>
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री माधोराज सिंह, अभिभाषक अपीलांटस
श्री ओ0पी.भटट, अभिभाषक रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 15.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा दिनांक 11.09.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/वादीगण ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, अंता के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88,89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पूर्व में गज्जा की खातेदारी भूमि थी। गज्जा के दो पुत्री व एक पुत्र क्रमशः भेरी, रामनाथी व रत्तीराम था। रत्तीराम के देहांत पर उसका वारिस छोटूलाल है। अतः वादीगण/रेस्पो0 गज्जा की उक्त सम्पत्ति में 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार है व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी किशना रामनाथी का पुत्र होने के कारण खातेदार है। अतः विवादित आराजी का उक्तानुसार बंटवारा कराया जाकर उसे खातेदार घोषित किया जावे। परीक्षण न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी ने नोटिस तामील होने पर जबाव दावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में 7 तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार करते हुये 1/3 हिस्से का बंटवारा करने की डिक्री दिनांक 26.03.2002 जारी कर दी। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलांट/प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2002 से अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0/वादी संख्या 1 मृतक गज्जा के पुत्र रत्तीराम का पुत्र नहीं है बल्कि रत्तीराम की पत्निके नाते जाने के बाद वह पैदा हुआ है। इस कारण मृतक गज्जा की वादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0संख्या 1 वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा तर्क कर चुका है क्योंकि मृतक गज्जा की 40 बीघा भूमि ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज में थी जो वादी/रेस्पो0 ने अपने नाम दर्ज करा ली है और इस भूमि को दावे में शामिल नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जहां सम्मिलित खाते की भूमियां हो तो उन सभी का बंटवारा एक ही वाद में किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि ग्राम अहमदी की जमीन के संबंध में अलग वाद किया जा सकता है, परीक्षण न्यायालय का यह उल्लेखन विधि अनुरूप नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि छोटूलाल ने विवादित आराजी को जरिये अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट के पक्ष में विक्रय भी कर दिया है। इस आधार पर भी छोटूलाल का विवादित आराजी पर कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि विरूद्व बताते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट ने इस प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी/रेस्पो0 ने ग्र्राम धतूरिया की आराजी में से अपना हक अधिकार छोड दिया हो। अपीलांट ने भू प्रबन्ध विभाग के साथ मिलिभगत कर मृतक गज्जा के खाते की आराजी को रामनाथी के खाते में दर्ज करा ली जबकि मृतक गज्जा के रामनाथी के अलावा एक पुत्री भैरी बाई भी थी। इस आधार पर मृतक गज्जा की भूमि में तीनों हिस्सेदारान का नाम समान रूप से होना चाहिए परन्तु भू प्रबन्ध

विभाग द्वारा केवल रामनाथी का नाम ही दर्ज किया गया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विवादित आराजी को वादी/रेस्पो0 से क्रय करना बताया है जबकि अपील में उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर अपना हक त्याग करना लिखा है। दोनों ही तथ्य एक दूसरे के विरोधाभासी है जिसे किसी साक्ष्य से अपीलांट/प्रतिवादी ने सिद्व नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण कर तनकीयात कायम करते हुये निर्णय पारित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसे यथावत रखा है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत निर्णयों को विधिसंगत बताते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया ।

7. अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

''इस प्रकार इस विवचेन के आधार पर वादग्रस्त भूमि मृतक गज्जा की होना निर्विवाद है। मृतक गज्जा के 2 पुत्री मु0 भैरी व मृतक रामनाथी तथा एक पुत्र रत्तीराम होना निर्विवाद है। रत्तीराम का पुत्र छोटू लाल रेस्पो0संख्या 1 नहीं है, यह तथ्य अपीलांटस परीक्षण न्यायालय में संदेह से परे सिद्व नहीं कर पायें है। अतः रेस्पो0 संख्या 1 को मृतक रत्तीराम का पुत्र माना जाता है। मृतक रामनाथी के 5 पुत्र अपीलांट 2 लागायत 6 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में मु0 भैरी का 1/3 हिस्सा मृतक रामनाथी के कायम मुकामान अपीलांट 2 ता 6 का 1/3 हिस्सा, तथा मृतक रत्तीराम के पुत्र रेस्पो01 का 1/3 हिस्सा निहित है। जहां तक ग्रम अहमदी की भूमि का प्रश्न है यह भूमि रेस्पो0 1 छोटूलाल के खाते में दर्ज है। अतः अपीलांट इस पर अपने अधिकार मानते है तो उन्हें अपने जवाब दावे में इस संबंध में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करना चाहिए था। फिर भी परीक्षण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांट को ग्राम अहमदी तहसील किशनगंज में मृतक गज्जाके खाते की भूमि के संबंध में अधिकार घोषणा का पृथक सेवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। इन निर्देशों की पालना में अपीलांट ग्राम

अहमदी में मृतक गज्जा के खाते की भूमि पर अपने अधिकार घोषणा का दावा लेकर अधिकार प्राप्त कर सकते है।''

8. इस अपील प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के विवरण एवं दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन दावा अंतर्गत धारा 88,89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण करते हुये कुल 7 तनकीयात कायम करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी परीक्षण न्यायालय द्वारा उन्हें पृथक से दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रा प्रदान की है। अपीलीय न्यायाल ने भी उनके यहां विचाराधीन अपील में प्रकरण का पूर्ण परीक्षण व विवचेन करने के उपरांत समवर्ती निर्णय पारित किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई अनियमिता या त्रुटि नहीं होने से कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक व उचित नहीं समझते है।

9. परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णय दिनांक 26.03.2002 व 11.09.2002 बहाल रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष